रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032022-234672
CG-DL-E-30032022-234672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1425] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944
No. 1425] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

का.आ. 1468(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 142ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पहचानविहीन जांच या मूल्यांकन स्कीम, 2022 है ।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं—(1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "स्वचालित आबंटन" से उपयुक्त प्रौद्योगिक औजार का प्रयोग करके मामलों के याद्यच्छिकीकृत आबंटन के लिए कोई एल्गोरिथ्म अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत संसाधनों का ईष्टतम प्रयोग करने की दृष्टि से कृत्रिम आसूचना और यंत्र विद्या सम्मिलित है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं ।

3. स्कीम का क्षेत्र— इस स्कीम के प्रयोजन के लिए,--

(क) अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करने के लिए ;

(ख) अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारण से पूर्व जांच करने के लिए ;

(ग) अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन उसके संपरीक्षित लेखाओं को प्राप्त करने के लिए निर्धारिती को निदेश देने के लिए ;

(घ) अधिनियम की धारा 142क के अधीन किसी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किसी आस्ति, संपत्ति या विनिधान के मूल्य का प्राक्कलन करने के लिए,

निर्धारिती की कुल आय या हानि के पहचानविहीन निर्धारण के लिए निर्देश के साथ अधिनियम की धारा 144ख के अनुसार और उसमें उपबंधित विस्तार तक स्वचालित आबंटन के माध्यम से पहचानविहीन रीति से किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 19/2022/फा. सं. 370142/15/2022-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव